

आज आश्वी केन्द्र के उपनिरीक्षक / सहायक
तक 12-3 द्वारा शान्त पगारी की ओर से अपराध
के 188/16 अंतर्गत धारा 34 आबि A(x) अधीन दण्डनीय
गाओदोंसो / अश्वनी में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण मेहरा 3 फे 21 फे 516 वालिमाल
राज्य निदेशक 21 फे 21 फे 516 वालिमाल
शान्त निवासी / निवासीगण 21 फे 21 फे 516 वालिमाल
उपरिथत। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता
श्री टाको जिला 21 फे 21 फे 516 वालिमाल
किया। अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा गोमोरेण्डग / तकालतनागा प्रस्तुत

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190--(1) द0प्र0सं0 के अधीन दण्डन विधि लागू का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आगमनित पत्नी 600789/18 दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0सं0 के धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र पद प्रस्तुत है। उद्देश्य है कि निःशुल्क दिलाई।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0सं0 के धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र पद प्रस्तुत है। उद्देश्य है कि निःशुल्क दिलाई।

चूँकि मामला राक्षित विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचार के द्वारा अभियुक्त/अभियुक्ता/अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध के शब्दों में लेखबद्ध किया। अतः अभिवाक्य यथा संभव उसके करना स्वेच्छया स्वीकार किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथम से दण्डित कर कारागार हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिकम की दशा में अभियुक्त को 60 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 25 स्वामी 25 रुपये राजसात विनये जाये। संपत्ति 25 स्वामी 25 रुपये मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अथवा अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate First Class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद क0 12 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार रजिस्टर हो।

A.K.C.
A.K.C. Gupta
A.K.C. Gupta